किसान से सफल उद्यमी बदलती कृषि की नई दिशा

के.एन. तिवारी[1], योगेन्द्र कुमार[2], एस.पी. सिंह[3], आर.के. नायक[3] और **यतेन्द्र कुमार[3]**

" भारतीय कृषि आज परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। बढ़ती उत्पादन लागत, छोटी एवं खंडित जोत आकार, मूल्य अस्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों ने पारंपरिक खेती की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है। वर्तमान समय में केवल अधिक उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में उद्यमिता आधारित कृषि किसानों को योजनाबद्ध ढंग से निर्णय लेने, बाजार की मांग को समझने तथा मूल्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। फसल चयन से लेकर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं प्रत्यक्ष विपणन तक किसानों की सक्रिय भागीदारी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही, कृषि विविधीकरण, आधुनिक तकनीकों का समावेश, सामूहिक संगठन तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दृष्टिकोण किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य किसानों को उद्यमिता आधारित कृषि मॉडल अपनाने, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वित उपयोग के माध्यम से स्थायी एवं बेहतर आय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। "

किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादन, संसाधन प्रबंधन और विपणन को एकीकृत करने वाली बहुआयामी रणनीति अपनाना आवश्यक है। उद्यमिता आधारित खेती इसी समन्वित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें कृषि विविधीकरण, तकनीकी नवाचार तथा मूल्य संवर्धन प्रमुख आधार स्तंभ हैं। यह मॉडल खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और जोखिम रहित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

[1]पूर्व निदेशक, इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट (इंडिया प्रोग्राम), लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश); [2]विपणन निदेशक, इफको, नई दिल्ली, [3]उप महा प्रबंधक, इफको, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010

जलवायु सहिष्णु उत्पादन प्रणाली

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए जलवायु सहिष्णु कृषि तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है। उन्नत एवं सहनशील किस्मों का चयन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां (ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर), मल्चिंग, संरक्षण कृषि, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी तकनीकें फसल को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में सहायक हैं। साथ ही, मौसम आधारित डिजिटल परामर्श किसानों को समय पर कृषि निर्णय लेने में मदद प्रदान करता है।

पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन

संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉलीहाउस तकनीक किसानों के लिए आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। पॉलीहाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा एवं अन्य उच्च मूल्य वाली सब्जियों की ऑफ-सीजन खेती की जा सकती है, जिससे बाजार

एकीकृत कृषि प्रणाली

एक ही फसल पर निर्भरता मौसम की अनिश्चितता, रोग-कीट प्रकोप तथा बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव जोखिमपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरती है। इस मॉडल में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, मशरूम उत्पादन, वर्मीकम्पोस्ट तथा बायोगैस इकाइयों को जोड़ा जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में संसाधनों का परस्पर उपयोग इसकी विशेषता है। फसल अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है, जबकि पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग जैविक खाद एवं बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। इसी प्रकार तालाब का पानी सिंचाई में उपयोगी होता है। इस समन्वित व्यवस्था से उत्पादन लागत में कमी आती है, मृदा की उर्वराशक्ति बनी रहती है तथा किसानों को वर्षभर नियमित आय प्राप्त होती है।

मुर्गीपालन बना अतिरिक्त आय का सुगम स्रोत

में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। सामान्य खेती की तुलना में संरक्षित खेती से 2-3 गुना अधिक आय अर्जित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान से इसकी स्थापना लागत भी कम हो जाती है।

औषधीय एवं सुगंधित फसलें

अश्वगंधा, तुलसी, शतावर तथा एलोवेरा जैसी औषधीय फसलें कम पानी और सीमित संसाधनों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। औषधि एवं आयुर्वेद उद्योग में इनकी निरंतर मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होता है। कई क्षेत्रों में अनुबंध खेती के माध्यम से इनके विपणन की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है।

अन्य उद्यम

मशरूम उत्पादन कम समय में अधिक लाभ देने वाला उद्यम है, जो किसानों के लिए त्वरित आय का प्रभावी स्रोत बन सकता है। मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन के साथ-साथ फसलों में परागण की प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे उत्पादन में लगभग 15-20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। वहीं, बकरीपालन एवं मुर्गीपालन कम निवेश में शुरू किए जा सकने वाले लाभकारी उद्यम हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं नियमित आय का अच्छा माध्यम बनते हैं। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सारणी 1. एकीकृत खेती से अनुमानित वार्षिक शुद्ध लाभ

गतिविधि	अनुमानित वार्षिक शुद्ध लाभ (रुपये में)
सब्जी उत्पादन (1 एकड़)	रुपये 1,50,000-2,00,000
एकीकृत कृषि मॉडल	रुपये 1,80,000-3,00,000
पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन (1000 वर्गमीटर)	रुपये 3,00,000-6,00,000
औषधीय फसलों की खेती (1 एकड़)	रुपये 1,50,000-3,00,000
पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन (2-4 दुधारू पशु)	रुपये 2,00,000-4,00,000
वर्मीकम्पोस्ट इकाई	रुपये 1,00,000-2,00,000
मशरूम उत्पादन (छोटे पैमाने पर)	रुपये 1,50,000

सारणी 2. उत्पादों के मूल्य संवर्धन से संभावित लाभ वृद्धि

कच्चा उत्पाद	मूल्य संवर्धित उत्पाद	संभावित लाभ वृद्धि (प्रतिशत)
टमाटर	सॉस/प्यूरी	30-50
गेहूं	पैक्ड आटा	20-30
सरसों	कोल्ड-प्रेस तेल	लगभग 40
आम	अचार, जैम एवं आम पापड़	लगभग 35

सारणी 3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत घटकवार प्रगति

घटक	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी	1,44,517	11,501.79
बीज पूंजी	3,48,907	1,182.48
सामान्य अवसंरचना	93	187.20
ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग	27	82.82

पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन

पशुपालन किसानों के लिए नियमित नकद आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित आहार तथा उन्नत नस्लों के उपयोग से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग जैविक खाद एवं बायोगैस उत्पादन में किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आय के अवसर भी विकसित होते हैं।

वर्मीकम्पोस्ट एवं बायोगैस

वर्मीकम्पोस्ट जैविक खेती का महत्वपूर्ण घटक है, जो मृदा की संरचना एवं उर्वरता में सुधार करता है। इसकी बिक्री किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है। वहीं, बायोगैस इकाई घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाती है तथा इससे प्राप्त स्लरी उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में उपयोगी होती है।

मूल्य संवर्धन

कृषि उत्पादों को केवल कच्चे रूप में बेचने की अपेक्षा उनका प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, गेहूं से पैक्ड आटा, टमाटर से सॉस या प्यूरी तथा सरसों से ब्रांडेड तेल तैयार कर विपणन करने पर किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है।

मूल्य संवर्धन से उत्पादों की भण्डारण क्षमता बढ़ती है, दूरस्थ बाजारों तक पहुंच आसान होती है तथा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्तर पर स्थापित प्रसंस्करण इकाइयां स्थानीय रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

इस मिशन के अंतर्गत फल, सब्जी एवं मसाला फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना में गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री, सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती तथा भंडारण सुविधाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे उत्पादन, गुणवत्ता एवं किसानों की आय में वृद्धि होती है।

तालाब आधारित मत्स्य पालन से बढ़ती कमाई

सारणी 4. उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रमुख पहलें

योजना	लक्षित वर्ग	उद्देश्य	प्रमुख लाभ
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी	बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाना	रुपये 10 लाख तक ऋण (शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी)
स्टार्टअप इंडिया	नवाचार आधारित उद्यमी	स्टार्टअप को प्रोत्साहन	कर छूट, फंडिंग एवं सरल पंजीकरण
स्टैंड-अप इंडिया	महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी	समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा	रुपये 10 लाख से रुपये 1 करोड़ तक ऋण सुविधा
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	बेरोजगार युवा	स्वरोजगार को बढ़ावा	अनुदान आधारित वित्तीय सहायता
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयां	प्रतिस्पर्धात्मकता एवं तकनीकी उन्नयन	सब्सिडी, प्रशिक्षण एवं बाजार सहायता
कौशल भारत मिशन	युवा एवं श्रमिक	कौशल विकास	प्रशिक्षण एवं प्रमाणन सुविधा
डिजिटल इंडिया	स्टार्टअप एवं लघु उद्यम	डिजिटल सुदृढ़ीकरण	ऑनलाइन पंजीकरण एवं ई-मार्केटिंग सुविधा
आत्मनिर्भर भारत अभियान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप	वित्तीय सहायता एवं राहत	ऋण गारंटी एवं कार्यशील पूंजी सहायता
कृषि अवसंरचना कोष	कृषि उद्यमी	भंडारण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना विकास	कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा
एक जिला-एक उत्पाद	स्थानीय उद्यमी	स्थानीय उत्पादों का संवर्धन	विपणन, ब्रांडिंग एवं बाजार विस्तार

बदलती कृषि की नई दिशा

आज भारतीय कृषि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और बाजार उन्मुखीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आधुनिक कृषि में तकनीक, नवाचार और उद्यमिता की भूमिका निरंतर बढ़ रही है, जिससे किसानों के लिए आय के नए अवसर विकसित हो रहे हैं:

- उत्पादन के साथ प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग पर बढ़ता जोर
- स्थानीय बाजारों से राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक पहुंच
- तकनीक आधारित खेती एवं डिजिटल विपणन का विस्तार
- आत्मनिर्भर एवं लाभकारी कृषि मॉडल की ओर बढ़ता रुझान

सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर, नवाचारी और बाजार सक्षम कृषि उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। किसानों की आय में स्थायी वृद्धि केवल उत्पादन बढ़ाने से संभव नहीं है, बल्कि प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और प्रभावी विपणन को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों को नियमित एवं दीर्घकालिक आय प्रदान करने के साथ-साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग और जोखिम में कमी सुनिश्चित करती है।

कृषि अवसंरचना कोष

इस योजना के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि अवसंरचना के विकास हेतु रियायती ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। इससे कृषि को मजबूत मूल्य शृंखला से जोड़ने में सहायता मिलती है।

स्टार्टअप इंडिया एवं एग्री-स्टार्टअप समर्थन

यह पहल कृषि क्षेत्र में नवाचार, एग्रीटेक, ड्रोन तकनीक एवं डिजिटल विपणन को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से युवाओं को कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

ई-नाम

ई-नाम एक डिजिटल मंडी प्रणाली है, जो किसानों को पारदर्शी मूल्य एवं ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। इससे किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच और उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

प्रत्यक्ष विपणन एवं डिजिटल प्लेटफार्म

वर्तमान समय में किसान डिजिटल प्लेटफार्म एवं प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है तथा किसानों को उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

उद्यमिता विकास को गति देने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप तथा कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, विपणन सुविधाएं तथा वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। सारणी-5 में उद्यमिता विकास से संबंधित प्रमुख बजटीय प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत है।

सरकारी योजनाएं

भारतीय कृषि अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उद्यमिता, मूल्य संवर्धन और बाजार उन्मुखीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं किसानों को कृषि-उद्यमी बनने, जोखिम कम करने तथा आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

- **किसान उत्पादक संगठन योजना:** इस योजना के माध्यम से छोटे एवं सीमांत किसानों को संगठित कर सामूहिक रूप से कृषि आदानों की खरीद, उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे लागत में कमी आती है तथा प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात जैसे नए अवसर विकसित होते हैं।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:** यह योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी निवेश क्षमता बढ़ती है और कृषि गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिलती है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ एवं अन्य जोखिमों से फसलों की सुरक्षा हेतु यह योजना महत्वपूर्ण है। इससे किसानों का आर्थिक जोखिम कम होता है और वे नई तकनीकों एवं कृषि उद्यमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना:** यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों एवं सहकारी समितियों को 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पहल के माध्यम से ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर रोजगार, मूल्य संवर्धन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है।

सारणी 5. उद्यमिता विकास हेतु बजटीय प्रावधान (2026-27)

योजना/प्रावधान	उद्देश्य	राशि/स्थिति
लघु एवं मध्यम उद्यम कोष	पूंजी एवं विस्तार वित्त उपलब्ध करवाना	रुपये 10,000 करोड़ (प्रस्तावित)
आत्मनिर्भर भारत कोष	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहन	रुपये 2,000 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान
व्यापार देयक छूट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	समय पर भुगतान एवं कार्यशील पूंजी उपलब्धता	सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी अनिवार्य
ऋण गारंटी विस्तार	आसान ऋण सुविधा एवं जोखिम में कमी	गारंटी कवरेज में वृद्धि
कॉरपोरेट मित्र (टियर-2 एवं टियर-3 शहर)	अनुपालन, परामर्श एवं तकनीकी सहायता	स्थानीय सहायता तंत्र विकसित
कूरियर निर्यात सीमा समाप्त	वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाना	रुपये 10 लाख की सीमा समाप्त
एमएसएमई क्लस्टर सहायता	समूह आधारित विकास एवं लेखा सहयोग	संरचनात्मक एवं संस्थागत समर्थन

मशरूम से सीमित स्थान में अधिक आय

उद्यमिता आधारित खेती किसान को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि एक सफल कृषि व्यवसायी के रूप में स्थापित करती है। वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, आधुनिक तकनीकों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी मॉडल से जुड़ाव एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में 2-3 गुना तक वृद्धि की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। वर्तमान समय में बाजारोन्मुख, नवाचार आधारित और टिकाऊ कृषि मॉडल ही भारतीय कृषि के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बन सकते हैं। ■